न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 84/2020 बउनवानी हंसराज मीना **बनाम** सू.अधि.एवं प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग
पुत्र श्री मथुरा लाल मीना, निवासी–कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,झालाना डूंगरी–जयपुर **GCMS No-2020/00173**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
06.01.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना एवं प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 01.10.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख, सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. श्री रामफूल मीना पुत्र श्री हीरा निवासी कहार उर्फ बडागांव तहसील मलारना डूँगर जिला सवाईमाधोपुर के नाम भूमि खाता संख्या नया 211 पुराना 204 उक्त भूमि श्री रामफूल मीना के नाम खातेदारी कहा से लगी थी इसके पिताजी हीरा या इसके दादाजी गज्या से पेतृक भूमि लगी थी इसकी जमाबन्दी व सेटलमेंट बन्दोबस्त की नकल की प्रमाणित प्रति विक्रम सम्वत् 1970 से 2008 के बीच की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं वं प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक 14/7/3/सूकाअ/भू.अ./2021/135 दिनांक 6.1.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा (जमाबन्दी व खतौनी सम्वत् 1980 से 2000 तक की) सूचना चाही गयी थी जो अभिलेखागार मे उपलब्ध नही होने के कारण जमाबन्दी व खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009 से 2023 की छायाप्रति तैयार कर कुल–2 पृष्ठो की सूचना पत्रांक प.14/7/3/रिकार्ड/सूकाअ/रि./भू.अ./2020/8050 दिनांक 14.12.2020 से जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचना अपीलान्ट को भिजवायी गयी थी किन्तु अपीलान्ट का अपूर्ण पता होने के कारण उक्त सूचना वापस इस कार्यालय को प्राप्त हो गयी है सुलभ संदर्भ हेतु भिजवायी गयी सूचना के लिफाफे की छायाप्रति भी जवाब के साथ संलग्न की गयी है। चूंकि अपीलान्ट को भिजवायी गयी सूचना अपूर्ण पता के कारण वापस प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग को प्राप्त हो गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 01.10.2020 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग के पत्रांक प.14/7/3/रिकार्ड/सूकाअ/रि./भू.अ./2020/8050 दिनांक 14.12.2020 से जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009 से 2023 की प्रमाणित प्रति दो पृष्ठों की अपीलान्ट को भिजवायी गयी थी किन्तु अपीलान्ट का अपूर्ण पता होने के कारण उक्त सूचना अपीलान्ट को प्राप्त नही हो सकी है। अतः प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब के साथ संलग्न सूचना अपीलान्ट को निर्णय प्रति के साथ भिजवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:34:23 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर